न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 11/2018/(2018/00011) जिला–नागौर

पांचाराम पुत्र श्रीराम जाति मेघवाल निवासी इन्दावड तहसील मेड़ता जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मेड़ता जिला नागौर।
2. पटवारी हलका इन्दावड़ तहसील मेड़ता जिला अजमेर।

–––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता दिनांक 29–06–2017
अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 208/2016
पांचाराम बनाम राज0 सरकार

–––––

उपस्थित– 1. श्री गिरीश पारीक् अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः–09.04.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया जिसे उन्होनें अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–06–2017 द्वारा खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:26 IST
Reason: SelfAttested

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी को दिनांक 29–6–2017 केम्प कोर्ट का नोटिस प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ और पत्रावली पर उपस्थित होने बाबत हस्ताक्षर किये एवं तारीख पेशी पूछने पर तारीख पेशी न्यायालय में दिये जाने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात प्रार्थी कई बार न्यायालय में गया लेकिन उसे प्रकरण के बारे में जानकारी नहीं हो पाई। तत्पश्चात प्रार्थी दिनांक 12–9–2017 को न्यायालय में गया और जानकारी की तब उक्त प्रकरण दिनांक 29–6–2017 को खारिज होने की जानकारी हुई। उपखण्ड अधिकारी मेड़ता का आदेश पूर्णतया विधिविरूद्ध है जो विधिक दृष्टिकोण से शून्य आदेश (एबिनिशियो वोइड) है जिसे चुनौती देने की कोई मियाद नहीं है फिर भी प्रार्थी द्वारा धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण के राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील काफी विलम्ब से बिना किसी ठोस व सक्षम आधार के प्रस्तुत की गई है, इस कारण से उपरोक्त अपील उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ही मूल अपील को वर्तमान स्तर पर ही सव्यय खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा रेस्पोन्डेन्ट अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के अधीनगर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:26 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि ग्राम इन्दावड तहसील मेड़ता में स्थित [redacted] आदग्रस्त आराजियात साबिक खसरा नम्बर 883 व 895/10 प्रार्थी /अपीलार्थी की कब्जेकाश्त व खातेदारी की

आराजियात होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है जिसका सेटलमेंट होने पर नये वर्किंग नम्बर जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 2681 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 2682 रकबा 1.10 है, खसरा नम्बर 2692 रकबा 0.68 है0, खसरा नम्बर 5078/1322 रकबा 0.43 है, खसरा नम्बर 5079/1323 रकबा 0.06 है0 खसरा नम्बर 2705 रकबा 0.37 है0 बने। दौराने सेटलमेंट अपीलार्थी की खातेदारी की आराजियात कब्जे काश्त में से मुर्तिब नये खसरा नम्बर 2705 रकबा 0.37 है0 मौके पर सही जगह नहीं दर्शा कर गोपीनाड़ा में शामिल कर दिया गया है और खसरा नम्बर 2705 की जगह खसरा नम्बर 2696 नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक अंकित कर दिया गया था जिसे पुनः दुरूस्त किये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के समक्ष धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कोर्ट केम्प में प्रस्तुत हुई और पत्रावली में प्रार्थी ने उपस्थित होकर हस्ताक्षर किये और प्रकरण को आगे चलाने की मंशा प्रकट की लेकिन उपखण्ड अधिकारी ने अपीलार्थी की सहमति के बिना ही प्रकरण को आगे नहीं चलाने का हवाला देकर प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। इस बाबत प्रार्थी ने कोई लिखित सहमति नहीं दी है। अधिनस्थ न्यायलय द्वारा दिनांक 26–7–2016 को मौका रिपोर्ट तलब की गई जो न्यायालय में आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई और न्यायालय ने बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी का नाम साबिक जमाबंदी में बहैसियत खातेदार दर्ज था जिससे बन्दोबस्त विभाग को नई जमाबंदी में मात्र साबिक जमाबंदी की प्रविष्ठि को दोहराना चाहिए था लेकिन सक्षम न्यायालय के आदेश रहन, बेचान, मुन्तकिल किये बिना पूर्व प्रविष्ठि को परिवर्तित कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विवादग्रस्त आराजियात को गोपी नाडी के नाम दर्ज कर दिया गया जिसकी दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दु पर कोई निर्णय पारित नहीं किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपूर्ण व गैरकानूनी होने से निरस्तनीय है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेशिका पर पहले हस्ताक्षर किये गये बाद में आदेशिका लिखी है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–6–2017 निरस्त किया जाकर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रूटिपूर्ण प्रविष्ठ को दुरूस्त किया जाकर साबिक जमाबंदी में अपीलार्थी के नाम दर्ज खातेदारी के इन्द्राज के आधार पर जमाबंदी में दुरूस्त कर दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा धरा 136 एल.आर. एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा स्वयं प्रकरण आगे नहीं चलाने का निवेदन करने पर ही उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा कोर्ट केम्प में प्रकरण का निस्तारण किया है अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:26 IST
Reason: SelfAttested

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की खातेदारी का रकबा भू–प्रबन्ध विभाग की एन्ट्री से पूर्व क्या था तथा बाद में क्या अंकन किया गया इसकी राजस्व अभिलेख से पूर्ण जांच तहसीलदार से करवाई जानी अपेक्षित है। अपीलार्थी द्वारा उक्त इन्द्राज दुरूस्ती हेतु धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी,) मेड़ता के समक्ष प्रस्तुत किया गया जबकि उक्त धारा 136 के अन्तर्गत एक सीमित क्षैत्राधिकार सक्षम अधिकारी को दिये गये है जिसके अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में हुई लिपीकीय त्रुटि जो कि दोनों पक्ष की सहमति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुरूस्त करवाई जा सकती है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट अपीलार्थी की खातेदारी की आराजियात कब्जे काश्त में से मुर्तिब नये खसरा नम्बर 2705 रकबा 0.37 है0 मौके पर सही जगह नहीं दर्शा कर गोपीनाड़ा में शामिल कर दिया गया है और खसरा नम्बर 2705 की जगह खसरा नम्बर 2696 नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक अंकित कर दिया गया। यद्यपि यह सही है कि भू–प्रबन्ध विभाग को जमाबंदी में पूर्व के इन्द्राज को ही बदस्तूर रखना चाहिए। भू–प्रबन्ध विभाग को राजस्व रेकार्ड में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन करने के कोई अधिकार नहीं है। तथापि राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 का क्षैत्र बहुत सीमित है जिसमें केवल लिपिकीय त्रुटि हो देखने मात्र से दोनों पक्षों की सहमति से दुरूस्त कराये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रकरण में राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अपीलाथी को उक्त स्थिति में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर वांछित लाभ प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–6–2017 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी,) मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–6–2017 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 208/2016 बउनवान पांचाराम बनाम राजस्थान सरकार विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:26 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर